

## आंतरिक - पार्टी लोकतंत्र

### प्रलिस के लयः

भारतीय संवधान, बरटिश संवधान, भारतीय संसद, बरटिश संसद

### मेन्स के लयः

अन्य देशों के संवधान के साथ भारतीय संवधान की तुलना, सांसदों की शक्तयों और उनकी स्वतंत्रता में बाधा ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में बोरसि जॉनसन (यूके के पूर्व प्रधानमंत्री) ने (बरटिश कंज़रवेटिव पार्टी के नेता के रूप में उनके खिलाफ पार्टी के [संसद सदस्यों](#) द्वारा अवशिवास मत के कारण) इस्तीफा दे दिया है ।

- यह भारत को पार्टी नेतृत्व के लयि जवाबदेही सुनश्चित करने हेतु नरिवाचति प्रतनिधियों को सशक्त बनाने पर गंभीरता से वचिर करने का आह्वान करता है ।

## यूनाइटेड कगिडम में संसद सदस्य का चुनावः

- मुख्य राजनीतिक दल का प्रतनिधित्व करने वाला सांसद बनने के लयि उम्मीदवार को पार्टी के नामांकन अधिकारी द्वारा सांसद बनने हेतु अधिकृत होना चाहयि । इसके बाद उन्हें नरिवाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट हासलि करना होगा ।
  - उम्मीदवार पार्टी के नेता को नामांकन प्रस्तुत नही करते हैं, जबकि स्थानीय नरिवाचन क्षेत्र पार्टी द्वारा नरिधारति कयि जाते हैं ।
- यूनाइटेड कगिडम को **650 क्षेत्रों में वभिजति कयि गया है जनिहें नरिवाचन क्षेत्र कहा जाता है ।**
  - चुनाव के दौरान नरिवाचन क्षेत्र में वोट डालने के लयि योग्य प्रत्येक व्यक्ता अपने सांसद हेतु एक उम्मीदवार का चयन करता है ।
    - सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार अगले चुनाव तक उस क्षेत्र का सांसद बन जाता है ।
    - यदि किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है या सेवानवृत्त हो जाता है, तो उस क्षेत्र हेतु एक नए सांसद के लयि उस नरिवाचन क्षेत्र में उपचुनाव होता है ।
- आम चुनाव में सभी नरिवाचन क्षेत्र के लयि उम्मीदवारों की सूची से प्रत्येक क्षेत्र के लयि संसद सदस्य चुना जाता है ।
  - आम चुनाव हर पाँच साल में होते हैं ।

## भारत में संसद सदस्य का चुनावः

भारत की संसद में दो सदन होते हैं और उनमें से प्रत्येक के लयि सदस्य चुने जाते हैं ।

- **लोक सभाः**
  - इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है ।
  - **प्रतनिधिका चुनावः**
    - प्रतनिधियों के चुनाव के लयि प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय नरिवाचन क्षेत्रों में वभिजति कयि गया है ।
      - प्रत्येक नरिवाचन क्षेत्र से फर्स्ट -पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली का उपयोग करके प्रतनिधियों का चुनाव कयि जाता है; बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को नरिवाचति घोषति कयि जाता है ।
      - केंद्रशासति प्रदेश (लोगों के सदन का प्रत्यक्ष चुनाव) अधनियम, 1965 द्वारा केंद्रशासति प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नरिवाचन द्वारा कयि जाता है ।
- **राज्यसभाः**
  - इसे राज्य परषिद भी कहा जाता है ।
  - **प्रतनिधिका चुनावः**

- राज्यों के प्रतनिधि राज्‍य वधिनसभओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं ।
- राज्‍यसभ में प्रत्येक **केंद्रशासति प्रदेश** के प्रतनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्देश्‍य के लिये वशिष रूप से गठति नरिवाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है ।
  - केवल तीन केंद्रशासति प्रदेशों (दलिली, पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर) का राज्‍यसभ में प्रतनिधित्व है (अन्य के पास पर्याप्त आबादी नहीं है) ।
- **राष्‍ट्रपति** द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिन्हें कला, साहित्‍य, वज्जान और समाज सेवा में वशिष ज्जान या व्‍यावहारिक अनुभव होता है ।
  - तर्क यह है कप्रतिष्ठति व्यक्तियों को चुनाव के बनिा राज्‍यसभ में जगह दी जाए ।

## ब्रिटिन में एक सांसद के पास प्रधानमंत्री के खलिाफ शक्तियाँ:

- एक स्‍थरि सरकार चलाने के लिये प्रधानमंत्री को हर समय अपने मंत्रियों के वशिवास को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिये ।
- यदयिह भावना ज़ोर पकड़ती है कनिेता अब देश को स्‍वीकार्य नहीं है तो एक सुगठति तंत्र को नया नेतृत्व प्रदान करके पार्टी के चुनावी लाभ की रक्षा के लिये कार्य करता है ।
- **कंज़र्वेटिवि सांसदों ने 1922 की समति (जसिमें बैकबेंच सांसद शामिल हैं और अपने हतियों की तलाश करते हैं) को यह व्यक्त करते हुए लिखा है कि उनमें अपने नेता पर "अवशिवास" है ।**
  - यदयि एक संख्यात्मक या प्रतशित सीमा (यू.के. में पार्टी के सांसदों का 15%) का उल्लंघन होता है, तो पार्टी नेता को संसदीय दल से नया जनादेश प्राप्त करने के लिये मज़बूर करने के साथ स्वचालति नेतृत्व शुरू हो जाता है ।

## भारत में एक सांसद के पास प्रधानमंत्री के खलिाफ शक्तियाँ :

- **अवशिवास प्रस्ताव:**
  - अवशिवास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जसिं लोकसभ में पूरे मंत्रपरिषद के खलिाफ पेश किया जाता है, जसिमें कहा गया है कनिे अब कसिी भी तरह से अपनी अपर्याप्तता या अपने दायित्वों को पूरा करने में वफिलता के कारण जमिेदारी के पदों को संभालने के लिये उपयुक्त नहीं समझे जाते हैं । .
  - लोकसभ में इसे पेश करने के लिये कोई पूर्व कारण की आवश्यकता नहीं होती है ।
    - लोकसभ की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नयिमावाली के नयिम 198(1) से 198(5) तक मंत्रपरिषद में अवशिवास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया नरिधारति की गई है ।
    - भारतीय संवधिन में न तो वशिवास प्रस्ताव का और न ही अवशिवास प्रस्ताव का उल्लेख है ।
      - हालाँकि अनुच्छेद 75 यह नरिदष्टि करता है कनिे मंत्रपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभ के प्रत उत्तरदायी होगी ।
    - अवशिवास प्रस्ताव को तभी स्‍वीकार किया जा सकता है जब सदन में न्यूनतम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ।
      - एक बार जब अध्यक्ष संतुष्ट हो जाता है कनिे प्रस्ताव क्रम में है तो सदन से पूछेगा कनिे प्रस्ताव को स्‍वीकार किया जा सकता है ।
      - यदयि प्रस्ताव सदन में पारति हो जाता है, तो सरकार कार्यालय को छोड़ने के लिये बाध्य होती है ।
    - सदन में अवशिवास प्रस्ताव को पारति करने के लिये बहुमत की आवश्यकता होती है ।
      - यदयि व्यक्तिया दल मतदान से दूर रहते हैं तो उन संख्याओं को सदन की कुल संख्या से हटा कर फरि बहुमत को ध्यान में रखा जाएगा ।

## भारत में सांसदों की स्वतंत्रता में बाधा:

- **दलबदल वरिधी कानून:**
  - दलबदल वरिधी कानून एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने के लिये संसद या राज्‍य वधिनमंडल सदस्यों को दंडति करता है ।
  - संसद ने इसे वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधनियिम के माध्यम से दसवीं अनुसूची के रूप में संवधिन में शामिल किया था । इसका उद्देश्‍य था सदस्यों द्वारा राजनीतिक संबद्धता बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना और इस प्रकार सरकारों के लिये स्‍थरिता लाना ।
    - यह कसिी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर नरिवाचति सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को नरिधारति करता है ।
    - वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद नरिवाचति सदस्यों द्वारा दल बदलने से कई राज्‍य सरकारों के पतन की प्रतिक्रिया में इस अधनियिम को लाया गया ।
  - हालाँकि इसमें सांसद/वधियकों के कसिी समूह को कसिी अन्य दल में शामिल होने (या वलिय) की अनुमति प्रापत है और वे कसिी दंड से मुक्त रखे गए हैं । यह दलबदल के लिये प्रोत्साहित करने या ऐसे सदस्यों को शामिल करने वाले राजनीतिक दलों को भी दंडति नहीं करता है ।
    - वर्ष 1985 के अधनियिम के अनुसार, कसिी राजनीतिक दल के नरिवाचति सदस्यों के एक- तहिाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'वलिय' माना जाता था ।
    - लेकनि **91वें संवधिन संशोधन अधनियिम, 2003** ने इस प्रावधान को बदल दिया और अब कानून की नज़र में वैधता के लिये कसिी दल के कम-से-कम दो-तहिाई नरिवाचति सदस्य अन्य कसिी दल में वलिय के पक्ष में होने चाहिये ।
  - कानून के तहत अयोग्य घोषति सदस्य उसी सदन में पुनः नरिवाचन के लिये कसिी भी राजनीतिक दल की ओर से चुनाव में खड़े हो सकते हैं ।
  - दलबदल के आधार पर नरिहता संबंधी प्रश्नों पर नरिणय ऐसे सदन के सभापतिया अध्यक्ष को संदर्भति किया जाता है और यह **न्यायकि समीक्षा** के अधिन होता है ।
  - हालाँकि कानून द्वारा कोई समयसीमा नरिधारति नहीं की गई है जसिके अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल मामले पर नरिणय दे दिया

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जसिमें: (2020)

- संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है।
- सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और इसे इसके द्वारा हटाया जा सकता है।
- सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है।
- सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है लेकिन एक नश्चित अवधि के पूरा होने से पहले इसे इसके द्वारा हटाया नहीं जा सकता है।

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जसिमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसे इसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसी प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है और कैबिनेट के साथ-साथ प्रधानमंत्री प्रभावी शक्ति का प्रयोग करते हैं।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है जो संसद का एक घटक है। लोकसभा के नियम इस सामूहिक ज़िम्मेदारी के परीक्षण के लिये एक तंत्र प्रदान करते हैं। वे किसी भी लोकसभा सांसद, जो 50 सहयोगियों का समर्थन प्राप्त कर सकता है, को मंत्रपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है।
- अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

Mains:

प्रश्न. आपके विचार से संसद कसि हद तक भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम है? (मुख्य परीक्षा 2021)

[स्रोत: द द्रि](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inner-party-democracy>

